20/5/2024

इस विषय वार्ता अनुपालन में गवाह अनुपालनार्थ आवाज लगाई गई। अधिवक्ता वादी अथवा वादी स्वयं उपस्थित हुई। अतः वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारीज किया जाता है। पक्षकारों को खर्चा स्वयं वहन करने का आदेश दिया जाता है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)